रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72




भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 1983/भाद्र 21, 1905
NO. 31] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 1983/BHADRA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

*Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation*

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1983

का. नि. आ. 738.—छावनी (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 15) की धारा-1 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अक्तूबर, 1983 के प्रथम दिन को एतद्द्वारा वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 14(5)/72-रक्षा (क्यू एण्ड सी)]

के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव
(पी एण्ड डब्ल्यू)

## MINISTRY OF DEFENCE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 1983

S.R.O. 73 E.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 1 of the Cantonments (Amendment) Act, 1983 (15 of 1983), the Central Government hereby appoints the 1st day of October 1983, to be the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 14(5)|72|D(Q&C)]
K. SRINIVASAN, Jt. Secy. (P&W)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983